[2019] 12 एस. सी. आर 589

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

वी.

मेसर्स मोती रतन एस्टेट और एक और

(2019 का सिविल अपील सं. 6996 आदि)

सितंबर 04,2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

की प्रयोज्यता-पुरस्कार यू/एस घोषित करने में विफलता। 11

एस. 11 ए.

घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर। 6 , के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण

अन्य भूमि-मालिकों से संबंधित भूमि क्या एस को आकर्षित करेगी। 11 ए आयोजितः यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक है न्यायालय द्वारा, एस के संदर्भ में स्व-समान अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले एक या दूसरे मामले में। 4 इसके बाद एस। 6 , अधिकारियों को अपने हाथों में रहना और निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा

न्यायालय की उस अवधि को, जिसके दौरान कार्यवाहियों पर रोक है, किसी अधिनिर्णय को पारित करने में दो वर्ष की वैधानिक अवधि की गणना करने में बाहर रखा जाना चाहिए। 11 - वर्तमान मामले में, जिस मामले में उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी

उसी अधिसूचना के तहत उसी गाँव की भूमि के संबंध में

और उसी परियोजना के लिए-जिस अवधि के दौरान रोक लागू थी, उसे बाहर रखा जाना है-उक्त अवधि को बाहर रखने पर, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी, स्पष्टीकरण को देखते हुए एस. 11 एक सीमा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. जब अधिग्रहण की योजना एक हो,

भूमि के एक हिस्से के संबंध में दी गई अंतरिम रोक भूमि के अन्य हिस्सों के संबंध में भी काम करेगी। ऐसी स्थिति जिसमें अधिकारी अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ना उचित समझते हैं और इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। में दिए गए ठहराव का अंतरिम आदेश

भूमि मालिकों में से किसी एक का पूरा सम्मान होगा अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए रोकें। जब रहना है।

एक मामले में मंजूरी दी गई है और जहां योजना एक थी,

अधिकारियों को अपने हाथों में रहना उचित था। [पैरा 7.5 (i), (ii) और (iii)।] [604 - डी-एफ]

2. "अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों के विस्तारित अर्थ का अर्थ होगा कि

न्यायालय द्वारा पारित कोई भी अंतरिम प्रभावी आदेश जो आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों के रास्ते में आ सकता है। अधिनियम की धारा 11 ए का स्पष्टीकरण व्यापक संभव शर्तों में है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई या कार्यवाही को अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय देने से पहले की कार्रवाई या कार्यवाही तक सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है और इसलिए भूमि धारकों द्वारा अधिग्रहण पर रोक लगाने और अधिकारियों द्वारा भूमि पर कब्जा करने से प्राप्त निषेधाज्ञा की अवधि को दो साल की अवधि की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए। [पैरा

7.5 (iv) और (v)] [604-G-H; 605-A]

3. केवल इसलिए कि जब पुरस्कार घोषित किया गया था, रिट याचिका संख्या के संबंध में भूमि। 3051/2013 और 3159/2013 को बाहर रखा गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस अवधि के दौरान उपरोक्त रिट याचिकाओं में ठहराव चल रहा था, उसे बाहर नहीं किया जाएगा। "अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों का अर्थ होगा कि एक या दूसरे मामले में रोक का कोई भी आदेश यदि न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जो या तो राज्य के अधिकारियों को एक आदेश पारित करने से रोकता है या रोकता है।

अधिनिर्णय, कार्रवाई/कार्यवाही पर रोक की ऐसी अवधि को दो साल की वैधानिक अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राधिकरण द्वारा एक पुरस्कार पारित करने में। अन्यथा भी, रिट याचिका संख्या 7867/2012 में पहले से ही कब्जे पर रोक थी और इसलिए अधिकारियों को अधिग्रहण के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए उचित ठहराया गया था।

कार्यवाही। [पैरा 7.6] [605-सी-ई] 4. यह सच है कि स्व-समान अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में अधिनियम की धारा 6 के तहत एक से अधिक घोषणा या अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार देने पर कोई रोक नहीं है।

अधिनियम की धारा 4 और उसके बाद धारा 6 के तहत शुरू किया गया, लेकिन यदि किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक है, तो यह निश्चित रूप से अधिकारियों को कानूनी अवधि के भीतर अधिग्रहण कार्यवाही को पूरा करने का निर्णय लेने से रोकता है, जैसा कि कानून द्वारा धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर पुरस्कार पारित करने में अनिवार्य है।

एक्ट करें। [पैरा 7.7] [605-एफ-जी] महाराष्ट्र राज्य

5. इस प्रकार, यदि किसी न्यायालय द्वारा कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई रोक है, तो इससे उत्पन्न होने वाले एक या दूसरे मामले में

अधिनियम की धारा 6 के साथ धारा 4 के संदर्भ में स्व-समान अधिग्रहण कार्यवाही, अधिकारियों को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपने हाथों में रहने और न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए उचित कहा जाता है और इस अवधि के दौरान

जिसे अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित करने में दो साल की वैधानिक अवधि की गणना करने में, किसी मामले में न्यायालय द्वारा कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक है, जिसे सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बाहर रखा जाना है। [पैरा 7 और 8] [605-एच; 606-ए-बी]

6. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या में स्थगन दिया गया था। 3051/2013

और 3159/2013 (अन्य मकान मालिकों द्वारा दायर) अंतिम निर्णय घोषित करने के खिलाफ और उक्त रिट याचिकाएं इस संबंध में थीं

याचिका में कहा गया है कि जिस अवधि के दौरान उपरोक्त रोक लागू थी/थीं, उसे बाहर रखा जाना चाहिए और यदि उक्त अवधि को बाहर रखा जाता है, तो उस मामले में अधिनियम की धारा 11 ए के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। इसके तहत परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने में गलती की है कि वे समाप्त हो गए हैं क्योंकि धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार घोषित नहीं किया गया था।

एक्ट करें। उच्च न्यायालय ने एक गंभीर गलती की है

रिट याचिका संख्या में इसके द्वारा दी गई अंतरिम रोक की अवधि को छोड़कर। 3051/2013 और 3159/2013। यहां तक कि कब्जे पर अंतरिम रोक लगाने से भी अधिग्रहण की अवधि समाप्त होने से बचेगी। [पैरा 8]

[606 - बी-ई]

(1991) 3 एससीसी 261: [1991] 2 एस. सी. आर. 563; यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम। गुजरात राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 531 [1991] 1 पूरक। एससीआर 158; गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य

(1993) 2 एससीसी 662: [1993] 2 एससीआर 788; हंसराज एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैन वी। महाराष्ट्र राज्य (1993) 3 एससीसी 634:

[1993] 1 पूरक। एस. सी. आर. 216; संगप्पा गुरुलिंगप्पा

सज्जन बनाम। कर्नाटक राज्य (1994) 4 एससीसी 145; अभय राम वी. भारत संघ (1997) 5 एससीसी 421: [1997] 3

एस. सी. आर. 931; ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ (2010) 4

एस. सी. सी. 17 [2010] 2 एस. सी. आर. 447; राज कुमार गांधी बनाम। चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य (2018) 7 एससीसी

763 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1991] 2 एससीआर 563

उस पर भरोसा करें

पै
रा 5.4

[1991] 1 पूरक। एससीआर 158

उस पर भरोसा करें

पै
रा 5.4

[1993] 2 एससीआर 788

उस पर भरोसा करें

पै
रा 5.4

[1993] 1 पूरक। एससीआर 216

उस पर भरोसा करें

पै
रा 5.4

(1994) 4 एससीसी 145

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.4

[1997] 3 एससीआर 931

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.4

[2010] 2 एससीआर 447

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.4

(2018) 7 एस. सी. सी. 763

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 69

2019 से।

एच के 24.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की रिट याचिका संख्या 7867 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय, औरंगाबाद में पीठ।

के साथ

सिविल अपील सं। 6998 , 6997 2019 से।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अधिवक्ता।

अपीलार्थी।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नचिकेता जोशी, सुबोध एस. पाटिल, एड।

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.31 में देरी को माफ कर दिया गया

2019. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. जैसे-जैसे अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, उन्हें इस सामान्य निर्णय और व्यवस्था द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. बॉम्बे में उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की पीठ द्वारा लिखित रूप में पारित किए गए विवादित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

याचिका सं। 7867/2012 , 10894/2016 और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और अधिग्रहित भूमि के संबंध में पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को पूरी तरह से इस आधार पर रद्द कर दिया है कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 के तहत पुरस्कार की घोषणा की गई तारीख से दो साल की अवधि के भीतर नहीं की गई थी।

अधिनियम की धारा 6 के तहत की गई घोषणा, महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3.1 सुविधा के लिए, रिट याचिका संख्या 7867/2012 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 24.03.2017 के आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका संख्या 23921/2018 से उत्पन्न अपील में तथ्यों को माना जाता है क्योंकि अन्य दो अपीलों में तथ्य समान हैं।

अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 01.03.2012 पर आधिकारिक राजपत्र में जारी और प्रकाशित की गई थी। यही बात गाँव में प्रकाशित हुई थी। 12.04.2012 पर ढोल बजाकर चावड़ी असरजान। इसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 07.02.2013 पर प्रकाशित की गई और अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना गांव में प्रकाशित की गई।

13.02.2013 पर ढोल बजाकर चावड़ी असरजान।

4.1 कि मूल भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 4 दिनांक 01.03.2012 के तहत अधिग्रहण और अधिसूचना को दायर करके चुनौती दी 09.05.2012 पर 2012 की याचिका संख्या 7867 लिखें। उस दिनांकित 11.10.2013 आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे को बाधित नहीं किया जाएगा। अन्य भूमि मालिकों, जिनकी भूमि उसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी और उसी धारा 4 अधिसूचना दिनांक 01.03.2012 के तहत, ने भी अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी।

और रिट याचिका संख्या दायर करके उनकी भूमि के संबंध में धारा 4 अधिसूचना। 3051/2013 और 3159/2013। उन रिट याचिकाओं में भी उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.11.2013 के आदेश के माध्यम से अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगा दी। ऐसा प्रतीत होता है कि 20.11.2013 दिनांकित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 3051/2013 और 3159/2013 ने पहले के [2019] 12 एस. सी. आर. को संशोधित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतरिम आदेश और निर्देश दिया कि अगली तारीख तक अंतिम पुरस्कार घोषित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि पुरस्कार तैयार है, तो राज्य को पुरस्कार घोषित करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई थी। कि उपरोक्त दो रिट याचिकाओं का निपटान दिनांक 08.01.2014 के आदेश के माध्यम से किया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 20.11.2013 दिनांकित अंतरिम आदेश को 12 सप्ताह तक जारी रखा। 12 सप्ताह की अवधि समाप्त हो गई।

02.04.2014 . कि इसके बाद अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में अधिनिर्णय 08.05.2015 पर पारित किया गया था, अर्थात, रिट याचिका संख्या 7867/2012 के मामले में। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिग्रहण को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी। हालाँकि, रिट याचिका संख्या 7867/2012 की सुनवाई के समय, यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरा अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार घोषित नहीं किया गया था। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली लंबित कार्यवाही के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम रोक को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है कि अधिग्रहित भूमि के कब्जे को बाधित नहीं किया जाएगा और रिट याचिका संख्या में दिए गए विशिष्ट रोक आदेश को ध्यान में रखते हुए। 3051/2013 और राज्य को अंतिम अधिनिर्णय की घोषणा करने से रोकने के लिए, उस अवधि को बाहर रखने की आवश्यकता है जिसके दौरान रोक चल रही थी और यदि ऐसी अवधि को बाहर रखा गया है, तो उस मामले में, पुरस्कार दो साल की अवधि के भीतर घोषित किया गया था और इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालाँकि, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

अधिग्रहण की कार्यवाही केवल इस आधार पर समाप्त हो गई है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर घोषित नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक अन्य आधारों पर अधिग्रहण को चुनौती देने का संबंध है, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निर्णय दिया। हालांकि, अधिग्रहण को केवल इस आधार पर अलग कर दें कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार दो साल की अवधि के भीतर घोषित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख।

4.2 उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने और रद्द करने में पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

अधिग्रहण, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। जहां तक अन्य दो अपीलों का संबंध है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार की घोषणा के बाद वर्ष 2016 में अधिग्रहण को चुनौती दी।

कार्यवाही इस आधार पर भी कि पुरस्कार को महाराष्ट्र राज्य और अन्य राज्य घोषित नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना, आक्षेपित द्वारा

सामान्य निर्णय और आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 ए पर विचार करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया है और इस आधार पर कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है क्योंकि अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर घोषित नहीं किया गया है।

इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं के अनुदान द्वारा ये अपीलें की जाती हैं।

5.2 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि उत्तरदाता के रूप में नहीं। 1 इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता याचिका संख्या लिखने के लिए एक पक्ष नहीं था। 3051/2013 और 3159/2013, उस अवधि का विस्तार जिसके दौरान उक्त रिट याचिकाओं में रोक लागू थी, प्रत्यर्थी सं. 1 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की रिट याचिका सं। 3051/2013 और 3159/2013 उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में और उसी गाँव और परियोजना के संबंध में थे और इसलिए प्राधिकरण को वर्तमान मामले में उस अवधि के दौरान पुरस्कार घोषित नहीं करने में उचित ठहराया गया था जब रोक रिट याचिका संख्या में काम कर रही थी। 3051/2013 और 3159/2013।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.3 यह आगे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थियों की ओर से कि वर्तमान मामले में भी कब्जे के खिलाफ रोक थी और पूरी अधिग्रहण कार्यवाही चुनौती के तहत थी और इसलिए प्राधिकरण को पुरस्कार घोषित नहीं करने में उचित ठहराया गया था, जिसे बाद में घोषित किया गया था, विशेष रूप से रिट याचिका संख्या में दी गई रोक को हटाने के बाद। 3051/2013 और 3159/2013।

5.4 उनकी प्रस्तुति के समर्थन में कि तथ्यों में और

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कटनेश्वरकर ने जी. नारायणस्वामी के मामलों में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है कि मामले की परिस्थितियों में अधिकारियों को अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए उचित ठहराया गया था, जिसमें पुरस्कार की घोषणा नहीं करना भी शामिल है और इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य (1991) 3 एस. सी. सी. 261; यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम। गुजरात राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 531; गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (1993) 2 एस. सी. सी. 662; हंसराज एच. जैन बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1993) 3 एस. सी. सी. 634; संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम। कर्नाटक राज्य

(1994) 4 एस. सी. सी. 145; अभय राम बनाम भारत संघ (1997) 5 एस. सी. सी. 421; ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ (2010) 4 एस. सी. सी. 17; और राज कुमार गांधी बनाम के मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय। चंडीगढ़

प्रशासन और अन्य (2018) 7 एससीसी 763।

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उन्हें रद्द कर दिया जाए और निर्धारित किया जाए

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।

6. श्री विनय नवारे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादियों-मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं। 6.1 वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों का समर्थन करते हुए, श्री नवारे, मूल रिट की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर घोषित नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि अधिनियम की धारा 11 ए को आकर्षित किया जाएगा और इसलिए महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार की घोषणा न करने के कारण।

अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख, अधिग्रहण

कार्यवाही समाप्त हो गई है।

6.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवारे द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को पुरस्कार घोषित करने से रोकने के लिए कोई रोक नहीं थी और केवल कब्जे के संबंध में रोक दी गई थी और इसलिए अधिकारियों के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार घोषित करने के लिए हमेशा खुला था ताकि कार्यवाही समाप्त न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अधिकारियों ने पुरस्कार की घोषणा नहीं की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही और/या अंतिम पुरस्कार घोषित करने के खिलाफ कोई रोक नहीं थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, इस अवधि के किसी भी बहिष्कार का कोई सवाल ही नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार दो साल की अवधि से अधिक था और इसलिए

अधिनियम की धारा 11 ए पर विचार करते हुए, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

6.4 अब जहाँ तक राज कुमार गाँधी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, विद्वानों द्वारा उस पर भरोसा किया गया है राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता, श्री नवारे, मूल रिट की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि तत्काल मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने उस भूमि को, जिसके संबंध में रोक दी गई थी, पुरस्कार की घोषणा से दूर रखने का विकल्प चुना है (रिट याचिका संख्या। 3051/2013 और 3159/2013) और पुरस्कार शेष भूमि के संबंध में घोषित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में निर्णय को अधिनियम की धारा 11 ए के अधिदेश का पालन करना होगा।

6.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

9] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। 7.1 (ए) इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय

11 अधिनियम का ए? (बी) हमारे विचार के लिए जो विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या कुछ भूमि धारकों द्वारा राज्य के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 11 ए के तहत निर्णय लेने से रोकने के लिए कार्रवाई/कार्यवाही पर रोक, अधिनियम की धारा 11 ए के तहत दी गई दो साल की वैधानिक अवधि के भीतर। अधिनियम की धारा 6 तत्काल मामले में भूमि धारकों/इच्छुक व्यक्तियों/प्रत्यर्थियों के अन्य समान मामलों के लिए समान रूप से विस्तार योग्य होगी।

7.2 अब जहाँ तक रिट याचिका संख्या 7867 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न अपील का संबंध है।

2012 संबंधित है, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना सहित अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी।

एक्ट करें। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे को बाधित नहीं किया जाएगा। साथ ही, अन्य भूमि मालिक जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी और उसी गाँव असरजान की और उसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने भी रिट याचिका संख्या दायर करके अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी। 3051/2013 और 3159/2013। उच्च न्यायालय ने 12.11.2013 पर अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसे बाद में संशोधित किया गया और यह निर्देश दिया गया कि अंतिम पुरस्कार घोषित नहीं किया जाएगा। अन्य दो रिट याचिकाएं रिट याचिका संख्या हैं। 10894 / 2016 और अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार घोषित किए जाने के बाद 9088/2016 दायर किया गया था कि वे अधिनियम की धारा 11 ए के तहत समाप्त हो गए हैं क्योंकि पुरस्कार दो साल की अवधि के भीतर घोषित नहीं किया गया है। द.

राज्य के अधिकारियों ने ठहराव के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया रिट याचिका संख्या में काम कर रहा था। 3051/2013 और 3159/2013। ऐसा नहीं है।

उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक रिट याचिकाकर्ताओं से संबंधित नहीं थी, बल्कि अन्य भूमि मालिकों के संबंध में थी। इसलिए, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अधिकारी थे

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम में अन्य भूमि मालिकों के मामले में पुरस्कार घोषित नहीं करने में न्यायसंगत।

मेसर्स मोती रतन एस्टेट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने का दृष्टिकोण

अधिग्रहित अन्य भूमि, जो उसी अधिसूचना के तहत और उसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।

7.3 राज कुमार गांधी के मामले में हाल के फैसले में

(ऊपर), इस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 ए की प्रयोज्यता पर विचार करने का अवसर था। अधिनियम की धारा 11 ए की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि जहां अधिग्रहण की योजना एक है, वहां भूमि के एक हिस्से के संबंध में दी गई अंतरिम रोक भूमि के अन्य हिस्सों के संबंध में भी काम करेगी और इसलिए अधिकारियों को अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए उचित ठहराया गया और इसके परिणामस्वरूप - अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। इसी निर्णय में, इस न्यायालय ने इन मामलों में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार किया है

जी. नारायणस्वामी रेड्डी (ऊपर); यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया (ऊपर); गांधी ग्रह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड (ऊपर); हंसराज एच. जैन (ऊपर); संगप्पा गुरुलिंगप्पा

सज्जन (ऊपर); अभय राम (ऊपर); और ओम प्रकाश (ऊपर)। राज कुमार गांधी (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें हममें से एक (भाई अरुण मिश्रा, जे. सदस्य थे), इस न्यायालय ने प्रयोज्यता के संबंध में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार किया है और विचार किया है।

अधिनियम की धारा 11 ए के पैराग्राफ 11,12,15 और 16 में निम्नानुसार हैः

" 11. अभय राम में [अभय राम बनाम। भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 421] इस न्यायालय ने "कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों के विस्तारित अर्थ पर विचार किया है और विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा है कि न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश की ओर से एक अवरोधक कार्रवाई होगी।

अधिकारी आगे बढ़ें। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः (एससीसी पीपी। 428-29 , पैरा 9)

" 9. अतः बी. आर. गुप्ता बनाम में दिए गए कारण। भारत संघ [बी. आर. गुप्ता बनाम। भारत संघ, 1988 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 367: (1989) 37 डी. एल. टी. 150] धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन और उसमें रिट याचिकाकर्ताओं के प्रकाशन को रद्द करने के संदर्भ में स्पष्ट हैं। विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या ठहराव प्राप्त हुआ है। जिन व्यक्तियों ने धारा 6 के तहत उत्तरदाताओं को घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित किया है, उनमें से कुछ अपीलार्थियों से संबंधित मामलों में भी समान रूप से लागू होंगे। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अपीलकर्ताओं के पास [2019] 12 एस. सी. आर. नहीं था।

घोषणा के प्रकाशन पर कोई रोक प्राप्त की, लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में, वास्तव में, उन्हें घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित कर दिया है, जैसा कि पहले यहाँ निकाला गया है, आवश्यक रूप से, जब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के समर्थन में विवादित आदेशों में घोषणा को प्रतिबंधित नहीं किया है, तो अधिकारियों को अपने जब तक मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। वास्तव में, इस न्यायालय ने स्थगन के आदेशों को विस्तारित अर्थ दिया है या

विभिन्न मामलों में कार्यवाही, अर्थात्, यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम। गुजरात राज्य [यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम। गुजरात राज्य, (1991) 4

एस. सी. सी. 531]; हंसराज एच. जैन बनाम। महाराष्ट्र राज्य [हंसराज एच. जैन बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1993) 3 एस. सी. सी. 634]; संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम। की स्थिति

2 एस. सी. सी. 662]; जी. नारायणस्वामी रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य [जी. नारायणस्वामी रेड्डी बनाम। की स्थिति कर्नाटक, (1991) 3 एस. सी. सी. 261] और रोशनारा बेगम बनाम। भारत संघ [रोशनारा बेगम बनाम। भारत संघ,

(1986) 1 एपेक्स 6 दिसंबर (एससी)]। "कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों की इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है।

और इसका अर्थ यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश अधिकारियों की ओर से आगे बढ़ने के लिए एक अवरोधक कार्रवाई होगी। जब धारा 5-ए के तहत जांच करने की कार्रवाई जारी की गई और धारा 6 के तहत घोषणा पर सवाल उठाया गया, तो अनिवार्य रूप से

जब तक न्यायालय यह नहीं मानता कि धारा 5-ए के तहत जांच ठीक से की गई थी और धारा 6 के तहत प्रकाशित घोषणा वैध थी, तब तक अधिकारियों के लिए मामले में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परिणामस्वरूप, कुछ लोगों के संबंध में दी गई रोक अन्य लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने उस ओर से रोक प्राप्त नहीं की थी। हम धारा 5-ए की जांच और विचार के संबंध में पहले के निर्देश की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं। आपत्तियाँ क्योंकि इसे प्रतिवादी संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। हम इसकी शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, हालांकि यह संदेह के लिए खुला है। महाराष्ट्र राज्य और अन्य v.

12. ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ [ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ, (2010) 4 एस. सी. सी. 17: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1], अंतरिम रोक के प्रभाव के बारे में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः (एस. सी. सी पी. 44, पैरा 72)

" 72. इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, भूमि मालिकों के मामलों में से एक में दिए गए स्थगन का अंतरिम आदेश उत्तरदाताओं पर अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा।

अधिनियम की धारा 6 के तहत। यदि उन्होंने उस अवधि के दौरान उक्त अधिसूचना जारी की होती जब रोक लागू थी, तो जाहिर है कि उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए फटकार लगाई गई होगी। स्थगन के अंतरिम आदेशों में प्रयुक्त भाषा भी ऐसी है कि इसने उत्तरदाताओं को निम्नलिखित घोषणा/अधिसूचना जारी करके मामले में आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था।

अधिनियम की धारा 6 "।

15. विद्वान वकील ने यूसुफभाई पर भी भरोसा किया है।

नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम। गुजरात राज्य [यूसुफभाई] नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम। गुजरात राज्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 531] जिसमें इस न्यायालय ने राय दी है कि धारा 11-ए का स्पष्टीकरण व्यापकतम संभव शब्दों में है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई या कार्यवाही को धारा 11 के तहत पुरस्कार देने से पहले की कार्रवाई या कार्यवाही तक सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय से भूमि धारक द्वारा प्राप्त निषेधाज्ञा की अवधि को दो साल की अवधि की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए। निर्णय अपीलार्थी की ओर से समर्थन किए गए निवेदन के लिए कोई मदद नहीं करता है। यह न्यायालय यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया [यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम। गुजरात राज्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 531] ने कहाः (एस. सी. सी पी. 535, पैरा 8)

" 8. उक्त स्पष्टीकरण व्यापक संभव शब्दों में है और हमारी राय में, कार्रवाई को सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है या

कार्रवाइयों के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्यवाहियां या

धारा के तहत पुरस्कार देने से पहले की कार्यवाही

11 उक्त अधिनियम का। सबसे पहले, जैसा कि स्वयं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जहां मामला धारा 17 द्वारा कवर किया गया है,

पुरस्कार दिए जाने से पहले कब्जा लिया जा सकता है और हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि स्पष्टीकरण में उपरोक्त अभिव्यक्ति को इस बात के आधार पर अलग अर्थ क्यों दिया जाना चाहिए कि मामला धारा 17 के अंतर्गत आता है या नहीं। दूसरी ओर, हमें ऐसा लगता है कि धारा 11-ए का उद्देश्य [2019] 12 एस. सी. आर. को लाभ प्रदान करना है।

एक ऐसे भूमि धारक पर, जिसकी भूमि धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अधिग्रहित की गई है, स्पष्टीकरण के दायरे में आने वाले मामलों में की गई है। लाभ यह है कि पुरस्कार घोषणा के दो साल की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और भूमि मालिक को वापस कर दी जाएगी। उक्त प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, वह यह है कि जो भूमि धारक लाभ चाहता है, उसने किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही को रोकने के लिए अदालत से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया होगा। उक्त
अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा का अनुसरण

कि स्पष्टीकरण में केवल उन भूमिधारकों के मामले शामिल हैं जो अदालत से कोई आदेश प्राप्त नहीं करते हैं जो अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण या अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण में देरी या रोक लगाएगा। हमारी राय में गुजरात उच्च न्यायालय सही था।

विवादित फैसले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखना।

16. संगप्पा गुरुलिंगप्पा पर भी भरोसा रखा गया है।

सज्जन बनाम। कर्नाटक राज्य [संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम। कर्नाटक राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 145], जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि बेदखल करने पर रोक थी, तो धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए,

संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन [संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन] वी. कर्नाटक राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 145] इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पीपी। 147-48 , पैरा 2)

" 2. याचिकाकर्ता का तर्क है कि धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से तीन साल के भीतर प्रकाशित नहीं की गई थी

अधिसूचना दिनांक 17-5-1984 और इसलिए, धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना समाप्त हो जाएगी। हम विवाद में कोई सार नहीं पाते हैं। सबसे पहले, मामले को एक संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया जाएगा कि हालांकि यह याचिका याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध थी, लेकिन उसने पहली बार में इसे नहीं उठाया और इसलिए,

सी. पी. सी. की धारा 11 का संचालन, यह रचनात्मक न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। धारा 6 (1) के पहले प्रावधान के तहत, जैसा कि धारा 6 के माध्यम से 1984 के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम 68 में संशोधित किया गया है।

कि (i) किसी विशेष भूमि के संबंध में कोई घोषणा नहीं
धारा 4 के तहत एक अधिसूचना द्वारा कवर की गई, उप-धारा (1) भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1967 के प्रारंभ के बाद प्रकाशित की जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य की तिथि से पहले।

मेसर्स मोती रतन एस्टेट और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 का प्रारंभ, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद; या (ii) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के बाद किया जाएगा।

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति। दूसरे शब्दों में, पूर्व-संशोधन अधिनियम के तहत धारा 6 (1) के तहत घोषणा धारा 4 (1) के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद प्रकाशित नहीं की जाएगी और संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद, राज्य को मामले को आगे बढ़ाने और इसे प्रकाशित करने की कोई शक्ति नहीं है। से एक वर्ष की समाप्ति के बाद धारा 6 (1) के तहत घोषणा

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि। स्पष्टीकरण 1 में अवधि की गणना की विधि या तरीका प्रदान किया गया है।

प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट, अर्थात् वह अवधि जिसके दौरान "कोई कार्रवाई या कार्यवाही" की जानी चाहिए

धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना

बहिष्कृत किया जाता है। मान लीजिए, दोनों अवसरों पर रिट याचिका लंबित रहने पर उच्च न्यायालय ने "बेदखल करने पर रोक" लगा दी। मान लीजिए कि जारी की गई अधिसूचना की वैधता या स्थायित्व और धारा 4 (1) के तहत प्रकाशित उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय का विषय है। जब तक रिट याचिकाओं का निपटारा नहीं किया जाता या उसके बाद की अपीलों का निपटारा नहीं किया जाता, तब तक बेदखल करने पर रोक लागू थी। हालांकि धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने वाला कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है, धारा 4 (1) अधिसूचना की वैधता का निर्णय लंबित रहने तक धारा 6 (1) घोषणा को प्रकाशित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि कार्यवाही को पूर्व-खाली करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसे या तो "अनुचित जल्दबाजी" या "अदालत की न्यायिक प्रक्रिया को पार करने" के लिए कार्रवाई के रूप में कलंकित किया जाएगा। अतः वह अवधि जिसके दौरान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के पहले परंतुक के खंड (1) के अंतर्गत आने वाली तीन साल की अवधि की गणना में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त बेदखल को बाहर रखा जाना चाहिए। जब इसकी गणना की जाती है, तो घोषणा दूसरे अवसर पर प्रकाशित की जाती है।

यह पूरी तरह से मान्य है। इन परिस्थितियों में, हमें धारा 6 दिनांक 17-5-1984 के तहत प्रकाशित अधिसूचना को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। तदनुसार पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

कोई लागत नहीं।

"[2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.4 कि इसके बाद पैराग्राफ 13 और 17 में, इस न्यायालय ने

वेद और निम्नानुसार आयोजितः

" 13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब एक मामले में रोक दी गई है और जब योजना एक थी, तो अधिकारियों को तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपने हाथों में रहने के लिए उचित ठहराया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और आदेशों को अंतिम रूप मिल गया है और इस न्यायालय ने अपीलों/एसएलपी को भी खारिज कर दिया है। इस प्रकार हम

तत्काल मामले में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक नहीं है।

17. तत्काल मामले में, विभिन्न अधिसूचनाएँ और घोषणाएँ

धारा 4 और 6 के तहत एक ही तारीख को जारी किया गया था

एक ही योजना का सम्मान करें। इस प्रकार, वे एक ही योजना के अभिन्न अंग थे। इस प्रकार, विद्वानों द्वारा उठाया गया समर्पण

अपीलार्थी के वकील को अस्वीकार कर दिया जाता है।

7.5 ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने पर, कानून के निम्नलिखित प्रस्तावों को समाप्त किया जा सकता हैः

(i) जब अधिग्रहण की योजना एक हो, तो अंतरिम रोक।

भूमि के एक पॉकेट के संबंध में दिया गया भूमि के अन्य पॉकेट के संबंध में भी काम करेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारियों के साथ आगे नहीं बढ़ना उचित है

अधिग्रहण की कार्यवाही और इसलिए अधिग्रहण

कार्यवाही समाप्त नहीं होगी;

((ii) भूमि मालिकों में से किसी एक के संबंध में दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश में अधिकारियों के लिए आगे बढ़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध होगा।

((ग) जब किसी एक मामले में रोक दी गई हो और जहां योजना एक थी, तो अधिकारियों को अपने हाथों पर रोक लगाने के लिए उचित ठहराया गया था;

((iv) "अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों के विस्तारित अर्थ का अर्थ होगा कि अदालत द्वारा पारित कोई भी अंतरिम प्रभावी आदेश जो अधिकारियों के आगे बढ़ने के रास्ते में आ सकता है;

(v) अधिनियम की धारा 11 ए का स्पष्टीकरण व्यापक है।

संभावित शर्तें और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई या कार्यवाही को महाराष्ट्र राज्य और अन्य v के तहत पुरस्कार देने से पहले की कार्रवाई या कार्यवाही तक सीमित करने के लिए कोई वारंट नहीं है।

अधिनियम की धारा 11 और इसलिए अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले भूमि धारकों द्वारा प्राप्त निषेधाज्ञा की अवधि और दो साल की अवधि की गणना में अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने से बाहर रखा जाना चाहिए।

7.6 अब जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने की बात है कि जब बाद में पुरस्कार घोषित किया गया था, तो रिट याचिका संख्या के संबंध में भूमि। 3051/2013 और 3159/2013 को बाहर रखा गया था और इसलिए राज कुमार गांधी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। केवल इसलिए कि अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए और/या उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में दी गई रोक को देखते हुए जो बाद में तब तक जारी रही जब तक कि अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता है, अधिकारी

जिन भूमि के लिए रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, उन्हें छोड़कर, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस अवधि के दौरान स्थगन रिट याचिका संख्या में काम कर रहा था। 3051/2013 और 3159/2013 को बाहर नहीं किया जाएगा। "अधिनियम की धारा 11 ए के तहत कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" शब्दों का अर्थ होगा कि एक या दूसरे मामले में रोक का कोई भी आदेश यदि कानून के न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, जो या तो राज्य के अधिकारियों को एक पुरस्कार पारित करने से रोकता है या रोकता है, तो कार्रवाई/कार्यवाही पर रोक की ऐसी अवधि को दो साल की वैधानिक अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राधिकरण द्वारा एक पुरस्कार पारित करना। अन्यथा भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, रिट याचिका संख्या 7867/2012 में पहले से ही कब्जे पर रोक थी और इसलिए अन्यथा भी अधिकारियों को अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए उचित ठहराया गया था।

7.7 यह सच है कि धारा 6 के तहत एक से अधिक घोषणा करने या अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार देने पर कोई रोक नहीं है।

अधिनियम की धारा 4 और उसके बाद धारा 6 के तहत शुरू की गई स्व-समान अधिग्रहण कार्यवाही के लिए, लेकिन यदि किसी भी मामले में किसी न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक है, तो यह निश्चित रूप से अधिकारियों को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर अधिनिर्णय पारित करने में वैधानिक अवधि के भीतर अधिग्रहण कार्यवाही को पूरा करने का अपना निर्णय लेने से रोकता है।

7.8 एक जटिल स्थिति का सामना करने में, जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई रोक है, तो धारा 4 के संदर्भ में स्व-अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले एक या दूसरे मामले में धारा [2019] 12 एस. सी. आर. के साथ पालन किया जाता है।

6 अधिनियम के अनुसार, अधिकारियों को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपने हाथों में रहने और न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए उचित कहा जाता है और ऐसी अवधि जिसके दौरान किसी मामले में न्यायालय द्वारा कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक है, जिसे बाहर रखा जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित करने में दो साल की वैधानिक अवधि की गणना में सभी व्यावहारिक उद्देश्य।

8. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करना और इस तथ्य पर विचार करना कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या में स्थगन दिया गया था। 3051/2013 और 3159/2013 अंतिम पुरस्कार घोषित करने के खिलाफ और उक्त रिट याचिकाएं सम्मान के साथ थीं

उसी अधिसूचना के तहत उसी गाँव की अधिग्रहित भूमि और उसी परियोजना के लिए और रिट याचिका सं. 7867/2012 उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, जिस अवधि के दौरान उपरोक्त रोक लागू थी/थीं, उसे बाहर रखा जाना चाहिए और यदि उक्त अवधि को बाहर रखा जाता है, तो उस मामले में, अधिनियम की धारा 11 ए के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। इसके तहत

परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने में गलती की है कि वे समाप्त हो गई हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार घोषित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या में उसके द्वारा दी गई अंतरिम रोक की अवधि को बाहर नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है। 3051/2013 और 3159/2013। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कब्जे पर अंतरिम रोक लगाने से भी अधिग्रहण की अवधि समाप्त होने से बचेगी।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये सभी अपीलें सफल होती हैं। द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी